निर्णय ब–इजलास प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 38 / 2023 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये श्री अशोक कुमार योगी, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगदीश प्रसाद कुमावत पुत्र श्री भौरी लाल कुमावत, निवासी मकान नं. 2, भैरव कॉलोनी, सूरज नगर, 11 नम्बर बस स्टेण्ड, ढिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर।
2. श्री अश्विनी कुशवाह पुत्र श्री सूरज प्रसाद ग्राम पोस्ट ठठिया, जिला कन्नौज, उत्तरप्रदेश हाल निवासी मकान नं. 2, भैरव कॉलोनी, सूरज नगर, 11 नम्बर बस स्टेण्ड, ढिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी 1 व 2 स्वयं उपस्थित।

निर्णय दिनांक 22.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.04.2023 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों का वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ ओम नमकीन मण्डार, ढिग्गी रोड, 11 नम्बर बस स्टेण्ड, सांगानेर, जयपुर से जरिये पुलिस थाना मालपुरा गेट जयपुर पूर्व के जब्तशुदा घरेलू सिलेण्डर 02 घरेलू सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 03.07.2023 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि थानाधिकारी पुलिस थाना मालपुरा गेट जयपुर पूर्व की तहरीर के अनुसार ओम नमकीन भण्डार के मालिक श्री जगदीश प्रसाद कुमावत व रोहित कुमावत की दुकान में रखे हुए घरेलू गैस

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

सिलेण्डरों में आग लग गई तथा किरायेदार दुकानदार श्री अश्विनी की दुकान में भी आग लग गई। मौके पर पुलिस ने पहुंच कर 02 गैस सिलेण्डरों को कब्जे में लिया। वक्त जांच पुलिस को दुकान में दो घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये है जिनसे ग्राहकों को सब्जी व समोसे बना कर विक्रय किए जाते है, इससे अप्रार्थीगण की अवैध मुनाफा की मनःस्थिति सिद्ध होती है। अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाकर दण्डनीय अपराध कारित किया गया है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थीगण ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि उक्त सिलेण्डर प्रार्थीगण की रसोई के गैस कनेक्शन के है जो दुकान पर रखे हुये थे एवं दुकान में आग लग गई, जिसके कारण पुलिस द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर जब्त कर लिए। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावे।

6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 23.04.2023 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अप्रार्थीगण ने जब्त सिलेण्डर स्वयं की रसोई के कनेक्शन शुदा सिलेण्डर बताया है। घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद दुकान में दो घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये है जिससे घरेलू गैस का व्यावसायिक दुरूपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 02 घरेलू सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 02 घरेलू सिलेण्डर क्षमता 14.2 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 03.07.2023 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

9. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

10. निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner